न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/12

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
भोमाराम पुत्र जेराराम चौधरी निवासी नरसाणा तहसील व जिला जालोर		1. जुंजाराम पुत्र वगताजी 2. गोकलाराम पुत्र जगाजी चौधरी निवासी नरसाणा तहसील व जिला जालोर 3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार,जालोर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : -

(1) श्री गुणेश सिंह राजपुरोहित प्रार्थी
(2) श्री सुरेन्द्र कुमार दवे अप्रार्थी 1, 2
(3) राजपेरोकार अप्राथी 3

निर्णय

दिनांक :- 18.7.19

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा नरसाणा के खसरा नम्बर 401 रकबा 1.94 हैक्टर की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 406 रकबा 2.25 हैक्टर भूमि मे से रास्ता प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने हेतु नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है। ऐसी स्थिति मे नक्शा परिशिष्ठ 'अ' मे वर्णित रास्ते को नये रास्ते के रूप मे घोषित किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार जालोर से जांच करवाई गई जो संलग्न पत्रावली है तत् पश्चात् उक्त जांच एवं जवाब के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 03.07.2015 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.07.2015 के विरूद्व अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प, जालोर मे अपीलांट (अप्रार्थीगण 1 व 2) श्री जुंजाराम पुत्र वगताजी, गोकलाराम पुत्र जगाजी चौधरी निवासी नरसाणा तहसील व जिला जालोर की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार दवे द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व अपील सं. 45/2015 का निर्णय दिनांक 09. 03.2018 के द्वारा अपीलान्ट (अप्रार्थीगण 1 व 2) की उक्त अपील आंशिक स्वीकार कर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 03.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ न्यायालय हाजा को प्रति प्रेषित किया गया की वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(A) के आज्ञापक प्रावधानो के अनुरूप प्रकरण की जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसमत् निर्णय पारित करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पुनः सुनवाई पर लिया गया तथा प्रार्थीगण से जवाब चाहा गया जो प्राप्त हुआ, वह शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थी के आस-पास अपने खेत खसरा नं0 401 में आने के लिये कदिमी रास्ता ग्राम मुडी के मुख्य मार्ग से उपलब्ध है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। शेष अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी जवाब इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया। फलस्वरूप अप्रार्थी का जवाब बंद किया गया।

बहस विद्वान अभिभाषकों की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के जवाब अनुसार बताया गया है कि प्रार्थी की अत्यन्त आवश्यकता सुविधाजनक एवं निकटतम व लघुतम मार्ग पूर्व मे उपलब्ध है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 401 मे आने जाने के लिए कई कोई रास्ता उपलब्ध होने धारा 251(A) सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नही करती है। क्योंकि प्रार्थी के खसरा नम्बर 401 आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है। फलस्वरूप नया रास्ता उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये आराजी खसरा नम्बर 405 व 406 में से प्राप्त करने का अधिकारी नही पाया जाता है। अतः प्रार्थी को नया रास्ता उपलब्ध करवाया जाना उचित व अति आवश्यक नही रहता है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(A) का खारीज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 18.7.2019 को सुनाया गया।

18/7/2019

(चम्पालाल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जालोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2019.11.30 17:08:06 IST
Reason: SelfAttested